विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-03/19

मो0 फारिक मो0 बिन्दु , — **आवेदक**
सुले तोल काटा के सामने,
पीथमपुर रोड़, इंदौर (म0प्र0)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (मध्य) शहर संभाग, — **अनावेदक**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
इन्दौर (म0प्र0)

आदेश
(दिनांक 20.09.2019 को पारित)

01. मो0 फारिक मो0 बिन्दु, सुले तोल काटा के सामने, पीथमपुर रोड़, इंदौर (म0प्र0) द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा जारी प्रकरण क्रमांक W0 409318 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2018 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

02. विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00—03/19 में दर्ज कर उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03. आवेदक मो0 फारिक मो0 बिन्दु, सुले तोल काटा के सामने, पीथमपुर रोड़, इंदौर (म0प्र0) द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के आदेश दिनांक 25.06.2018 के विरूद्ध लिखित अपीलीय अभ्यावेदन दिनांक — निरंक जो दिनांक 13.02.2019

को तत्कालीन प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा सुनवाई हेतु ग्राहण किया जाकर उभयपक्षों को प्राथमिक सुनवाई दिनांक 12.03.2019 को नियत करते हुए उभयपक्षों को दिनांक 14.02.2019 को सूचना–पत्र जारी किया गया ।

04. तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही । अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी । चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedule) की गई और प्रश्नाधीन प्रकरण में सुनवाई की दिनांक 21.06.2019 नियत की जाकर दोनों पक्षों को तद्नुसार नोटिस जारी किए गए ।

05. दिनांक 21.06.2019 को विद्युत लोकपाल द्वारा प्राथमिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें आवेदक की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय अग्रवाल एवं अनावेदक की ओर से श्री आर.एल. धाकढ़, कार्यपालन यंत्री (सतर्कता), इन्दौर एवं विधि सहायक श्री योगेश शर्मा एवं श्री इंद्रेश सोनी (लाईन अटेंडेंट) सहायकों के साथ उपस्थित हुए । अनावेदक के कार्यपालन यंत्री श्री श्री आर.एल. धाकढ़, ने अपने पत्र क्रमांक 1417 दिनांक 20.06.2019 से प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत किया ।

06. सुनवाई में सर्वप्रथम आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009''** की कण्डिका 3.36, 3.37 एवं 4.12 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवलोकन किया गया एवं निष्कर्ष प्राप्त किया । उक्त विनियम की कण्डिका 3.36, 3.37 एवं 4.12 निम्नानुसार उद्धृत की जाती है :–

''3.36 यदि शिकायतकर्ता, फोरम के आदेश या शिकायत के निराकरण न किये जाने से व्यथित है, तो वह अंतिम आदेश या फोरम द्वारा शिकायत निवारण हेतु अधिकथित अवधि की समाप्ति से साठ दिवस के भीतर परिशिष्ट में निर्धारित प्ररूप में आयोग द्वारा नियुक्त/नामोद्दिष्ट विद्युत लोकपाल को अभ्यावेदन दे सकेगा ।

बशर्ते यह कि विद्युत लोकपाल अभ्यावेदन को साठ दिवस की अवसान अवधि के उपरान्त 60 दिवस से अनाधिक अवधि के भीतर अभ्यावेदन को ग्रहण कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट है तथा कारण लिखते हुए अभिलेखित करता है कि व्यथित व्यक्ति के पास अभ्यावेदन कथित साठ दिवस की अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण विद्यमान थे ।''

''3.37 विद्युत लोकपाल के पास कोई भी अभ्यावेदन दर्ज नहीं होगा जब तक कि उपभोक्ता विहित रीति में, फोरम के आदेश के निबंधनों के अनुसार वह देय राशि का कम से कम आधी राशि का भुगतान न कर दे जो कि फोरम द्वारा जारी आदेश के अनुसार होगी तथा फोरम द्वारा शिकायत का निराकरण न होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयकों के अनुसार देय राशि हो तथा उसका अभ्यावेदन सफल न होने की दशा में उसके द्वारा बकाया राशि पर अधिभार का भुगतान किये जाने हेतु सहमति व्यक्त कर दी गई हो ।

''4.12 इस विनियम के अध्यधीन रहते हुए, विद्युत लोकपाल को दिया जाने वाला कोई अभ्यावेदन–

(क) लिखित में होगा;

(ख) उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा;

(ग) उपभोक्ता/अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पता प्रकट किया जायगा,

(घ) अनुज्ञप्तिधारी के शिकायत निवारण फोरम के अधि–निर्णय सहित शिकायत का विवरण अंतर्विष्ट होगा; और

(ङ.) किसी अन्य प्राधिकारी/विधि न्यायालय को की गई शिकायत का विवरण अंतर्विष्ट होगा ।

07. कण्डिका 3.36 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक के अपीलीय अभ्यावेदन के अवलोकन से प्राप्त निष्कर्ष :—

''इस कण्डिका से स्पष्ट है कि आवेदक को अपने अपीलीय अभ्यावेदन फोरम के आदेश दिनांक 25.06.2018 से 60 दिवस की अवधि के भीतर विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करना था तथा इस अवधि के बाद अधिकतम 60 अतिरिक्त दिवस के अन्दर विलंब के लिए यथोचित कारण दर्शातें हुए जिसके अन्तर्गत आवेदक के लिए निर्धारित प्राथमिक 60 दिवस की समय–सीमा में अपील प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं था । अपीलीय अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान इससे अधिक अवधि में विलंब के लिए विद्युत लोकपाल द्वारा अभ्यावेदन को ग्रहण किए जाने हेतु कोई अधिकार विनियम में प्रदत्त नहीं किया गया है । इस परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अभ्यावेदन का अवलोकन करने से निर्देशित होता है कि आवेदक द्वारा सर्वप्रथम अक्टूबर माह में अदिनांकित अपील विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत की थी, किन्तु उस आवेदन पर उपभोक्ता के स्वयं के हस्ताक्षर नहीं होकर उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर थे । इस अपील को प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 503 दिनांक 09.10.2018 से स्वीकार नहीं कर वापस कर दी गई । इसके पश्चात आवेदक द्वारा माह दिसम्बर 2018 में पुनः अपने अदिनांकित लिखित अभ्यावेदन से अपील प्रस्तुत की । इस अभ्यावेदन तथा संलग्न अन्य दस्तावेजों पर उपभोक्ता का केवल नाम अंकित था, किन्तु हस्ताक्षर नहीं किए गए थे । इस आधार पर आवेदक की अपील पत्र क्रमांक 723 दिनांक 07.12.2018 से वापस कर दी गई । इसके बाद प्रश्नाधीन अभ्यावेदन आवेदक द्वारा 233 दिवस के विलंब से प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए उन्होंने सूचित किया है कि उनके पूर्व के 2 अभ्यावेदन वापस कर दिए जाने के कारण प्रकरण अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है, जिसको स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ किया जाए । वर्तमान अभ्यावेदन एवं पूर्व में प्रस्तुत 2 अभ्यावेदन नियमानुसार एवं विधि अनुरूप प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण वापस किए गए थे, अतः इन अभ्यावेदनों के वापस किए जाने को आधार बनाकर वर्तमान अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को सही नहीं ठहराया जा सकता है । स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009''** की कण्डिका

3.36 का पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण उनका अभ्यावेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है ।

08. कण्डिका 3.37 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक के अपीलीय अभ्यावेदन के अवलोकन से प्राप्त निष्कर्ष :—

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपने लिखित उत्तर दिनांक 20.06.2019 में सूचित जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में आवेदक पर कुल 1,90,032/— की निर्धारण आदेश की राशि आरोपित है, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है । कण्डिका 3.37 के प्रावधान अनुसार आवेदक को अपील प्रस्तुत करने के पूर्व इसके 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अनावेदक को कर उसके दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत करना था जो उनके द्वारा नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कण्डिका 3.37 का पालन नहीं किया गया है और इस कारण उनके द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किए जाने योग्य है ।

09. कण्डिका 4.12 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक के अपीलीय अभ्यावेदन के अवलोकन से प्राप्त निष्कर्ष :—

विनियम की कण्डिका 4.12 के प्रावधान अनुसार अपील का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि आवेदक द्वारा इस कण्डिका में दर्शित आवश्यक विवरणों के साथ अपील प्रस्तुत नहीं की गई है एवं इस कारण आवेदक की अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाई गई ।

10. उक्त वर्णित प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009''** की कण्डिका 3.36, 3.37 एवं 4.12 के प्रावधानों का आवेदक द्वारा पालन नहीं किए जाने के कारण उनकी अपील खारिज कर प्रकरण निराकृत किया जाता है ।

11. उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

विद्युत लोकपाल